भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3554

सोमवार, 8 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक)

राष्ट्रीय मजदूरी नियम

3554. श्री चन्दन सिंह:
श्रीमती नवनित रवि राणा:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री छेदी पासवान:
श्रीमती रमा देवी:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में कुछ कंपनियां राष्ट्रीय मजदूरी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उल्लंघन के मामलों का डेटाबेस रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मजदूरी नियमों के उल्लंघन के बारे में कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं;

(घ) इनमें से कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और कितनी शिकायतें अभी भी लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं;और

(ड.) क्या नियमों के अनुपालन के कारण पीड़ित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ड.): केंद्र सरकारें और राज्य सरकार अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन, मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी(सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन मशीनरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। नामोदिष्ट निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और भुगतान न करने या मजदूरी/न्यूनतम मजदूरी के कम भुगतान के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को मजदूरी में की गई कमी का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अनुपालन न करने के मामले में, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 17क और 20 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 के तहत निर्धारित दंडात्मक उपबंधों की सहायता ली जाती है। केंद्रीय क्षेत्र में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने से संबंधित ब्यौरा अनुबंध में है। राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रवर्तन का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

* ****

उपबंध

"राष्ट्रीय मजदूरी नियम" के संबंध में श्री चन्दन सिंह, श्रीमती नवनित रवि राणा, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्री दिलेश्वर कामैत, श्री छेदी पासवान, श्रीमती रमा देवी द्वारा पूछे गए दिनांक 08.08.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3554 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत किए गए निरीक्षण, अभियोजन और दोषसिद्धि का ब्यौरा

विवरण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धि की संख्या
1	2	3	4	5	6
2019-20	7690	59950	23397	1609	412
2020-21	2114	13949	7566	501	174
2021-22	5022	35983	8726	492	167
2022-23 (जून, 2022 तक)	2095	14823	3087	170	48

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दावा के मामले

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत दर्ज किए गए दावे			
	दर्ज किए गए	निर्णित	शास्ति	लाभान्वित कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5
2019-20	3470	754	217981002/- रुपये	5297
2020-21	3763	1334	270202177/- रुपये	7631
2021-22	5297	2102	177722490/- रुपये	7487
2022-23 (जून, 2022 तक)	3457	447	109749197/- रुपये	1733

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत किए गए निरीक्षण, अभियोजन और दोषसिद्धि का ब्यौरा

विवरण	किए गए निरीक्षणों की संख्या	पाई गई अनियमितताओं की संख्या	सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या	शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या	दोषसिद्धि की संख्या
1	2	3	4	5	6
2019-20	2629	16004	9622	317	57
2020-21	928	5003	4209	145	34
2021-22	2140	12325	3857	423	39
2022-23 (जून, 2022 तक)	506	3273	1347	53	13

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत दावा के मामले

वर्ष	मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत दर्ज किए गए दावे			
	दर्ज किए गए	निर्णित	शास्ति	लाभान्वित कामगारों की संख्या
1	2	3	4	5
2019-20	319	187	12192780/- रुपये	278
2020-21	336	204	166136127/- रुपये	2778
2021-22	811	400	298027109/- रुपये	5277
2022-23 (जून, 2022 तक)	508	95	20160631/- रुपये	556

*****